

बिहार सरकार  
परिवहन विभाग  
पत्र संख्या-06/निबंधन-23/2017 परि०.6972

प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी  
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

सेवा में,

सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार।  
सभी जिला परिवहन पदाधिकारी।  
सभी मोटरयान निरीक्षक।

पटना, दिनांक 11/11/18

विषय:- M/S-INTERNATIONAL TRACTORS LIMITED. के उत्पाद मॉडल का निबंधन के संबंध में।  
महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक M/S-INTERNATIONAL TRACTORS LIMITED. के द्वारा उनके उत्पाद मॉडल के संबंध में प्रस्तुत केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम 126 के तहत प्राधिकृत जाँच एजेन्सी ICAT, Haryana द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति एवं अन्य कागजात के आधार पर निम्न उत्पाद मॉडल का बिहार राज्य में विक्रय के प्रयोजनार्थ निबंधन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

Sl.No	Base Model	Variants	T.A.Certificate/ Date	Types of Vehicle	Price
1	DI-750 III HDM	1. DI-750 III HDM S1	CAFD 0025 F02 E01/05.01.2018	Agricultural Tractor	Rs. 7,88,000/- to Rs. 7,91,000/-
2	DI-22 4WD Gardentrac S1	.....	CAHD 0056 F01/08.09.2017	Agricultural Tractor	Rs. 3,87,340/-
3	DI-745 III HDM	1. DI-745 III HDM S1 2. DI-745 III HDM S2 3. DI-745 III HDM S3 4. DI-745 III RX HDM 5. DI-745 III RX HDM S1 6. DI-745 III RX HDM S2 7. DI-745 III RX HDM S3 8. DI-47 RX HDM 9. DI-47 RX HDM S1 10. DI-47 RX HDM S2 11. DI-47 RX HDM S3	CAHD 0221/21.09.2018	Agricultural Tractor	Rs. 6,81,000/- to Rs. 7,01,000/-
4	DI-35 HDM	1. DI-35 HDM S1 2. DI-35 SM HDM & 3. DI-734 Power Plus HDM	CAFD 0162 F01 E01/13.01.2018	Agricultural Tractor	Rs. 6,06,000/- to Rs. 6,13,000/-
5	DI-42 HDM 4 Wheeled Rear wheel driven, General Purpose Agricultural Tractor	1. DI-42 RX HDM 2. DI-47 RX S1 3. DI-745 III S1 4. DI-745 III RX S1 5. DI-740 III HDM 6. DI-35 Power Plus HDM 7. DI-35 RX Power Plus HDM 8. DI-42 HDM S1 9. DI-42 RX HDM S1 10. DI-47 RX S2 11. DI-745 III S2 12. DI-745 III RX S2 13. DI-740 III HDM S1 14. DI-35 Power Plus HDM S1 15. DI-35 RX Power Plus HDM S1 16. DI-42 HDM S2 17. DI-42 RX HDM S2 18. DI-47 RX S3 19. DI-745 III S3 20. DI-745 III RX S3 21. DI-740 III HDM S2 22. DI-35 Power Plus HDM S2 23. DI-35 RX Power Plus HDM S2 24. DI-42 HDM S3 25. DI-42 RX HDM S3 26. DI-47 RX S4 27. DI-745 III S4 28. DI-745 III RX S4 29. DI-740 III HDM S3 30. DI-35 Power Plus HDM S3 31. DI-35 RX Power Plus HDM S3 32. DI-740 III HDM S4 33. DI-35 Power Plus HDM S4 34. DI-35 RX Power Plus HDM S4 35. DI-740 III HDM S5 36. DI-35 Power Plus HDM S5 37. DI-35 RX Power Plus HDM S5	CAHD 0075 F03/05.04.2018	Agricultural Tractor	Rs. 6,46,000/- to Rs. 6,52,000/-

1. निबंधन के पूर्व केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली-1989 के नियम-126 एवं 127 के अन्तर्गत प्रपत्र-22 में प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा नियमावली के नियम-93 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना होगा। इस नियमावली के नियम 33 से 46 का अनुपालन करेंगे।
2. वाहन का प्रोटोटाइप जिस प्रकार प्रमाणित किया गया है, निबंधन भी उसी प्रकार के वाहन का होगा।
3. इसके साथ रोड वर्थीनेस प्रमाण पत्र मोटर वाहन नियमावली के नियम के अनुपालन का प्रतिवेदन/जाँच प्रतिवेदन/मार्ग निर्देशन वाहन डीलर द्वारा संलग्न किया जायेगा।
4. किसी भी परिस्थिति में किसी कम्पनी के नये प्रोडक्ट का निबंधन राज्य परिवहन आयुक्त का आदेश निर्गत होने की तिथि के पूर्व नहीं किया जायेगा। बिना आदेश के यदि निबंधन किया जाता है तो इसकी सम्पूर्ण जवाबदेही आपकी होगी।
5. जिला परिवहन पदाधिकारी वाहन विक्रेता के पंजियों की नियमित जाँच करते हुए बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम-1994 की धारा-6 के अधीन करों की वसूली सुनिश्चित करेंगे तथा ट्रेड टैक्स का अद्यतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
6. जिला परिवहन पदाधिकारी वाहन के निबंधन के समय यह सुनिश्चित करेंगे कि डीलर का ट्रेड प्रमाण पत्र वैध है एवं उनके द्वारा बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 (यथा संशोधित) की धारा-6 के अनुरूप प्रत्येक वाहन के ट्रेड टैक्स का अद्यतन भुगतान किया गया है।
7. बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा 6 शेड्यूल-III के अनुरूप प्रत्येक वाहन के लिए निर्धारित कर की दर से निबंधन के समय भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
8. संबंधित Model का बिक्री मूल्य कम्प्यूटर में दर्ज करेंगे।
9. निर्माता कंपनी उक्त मॉडलों/वैरियंट के संबंध में COP छः माह के अन्दर इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
10. वाहन-4.0 के होमोलोगेशन पोर्टल पर मॉडल/वैरियंट/वास्तविक विक्रय राशि एवं अन्य सूचना अंकित कराने का दायित्व कंपनी का होगा। उक्त सूचना पोर्टल पर उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में निबंधन स्वीकृति की अनुमति रद्द मानी जाएगी।
11. माननीय सर्वोच्च/उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी न्यायिक आदेश से यह प्रभावित होगा।

विश्वासभाजन



विशेष कार्य पदाधिकारी,  
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

बिहार सरकार  
परिवहन विभाग

पत्र संख्या-06/निबंधन-23/2017 परि0.....

प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी  
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

सेवा में,

सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार।  
सभी जिला परिवहन पदाधिकारी।  
सभी मोटरयान निरीक्षक।

पटना, दिनांक .....

विषय:- M/S-INTERNATIONAL TRACTORS LIMITED. के उत्पाद मॉडल का निबंधन के संबंध में।  
महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक M/S-INTERNATIONAL TRACTORS LIMITED. के द्वारा उनके उत्पाद मॉडल के संबंध में प्रस्तुत केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम 126 के तहत प्राधिकृत जाँच एजेन्सी ICAT, Haryana द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति एवं अन्य कागजात के आधार पर निम्न उत्पाद मॉडल का बिहार राज्य में विक्रय के प्रयोजनार्थ निबंधन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

Sl.No	Base Model	Variants	T.A.Certificate/ Date	Types of Vehicle	Price
1	DI-750 III HDM	1. DI-750 III HDM S1	CAFD 0025 F02 E01/05.01.2018	Agricultural Tractor	Rs. 7,88,000/- to Rs. 7,91,000/-
2	DI-22 4WD Gardentrac S1	.....	CAHD 0056 F01/08.09.2017	Agricultural Tractor	Rs. 3,87,340/-
3	DI-745 III HDM	1. DI-745 III HDM S1 2. DI-745 III HDM S2 3. DI-745 III HDM S3 4. DI-745 III RX HDM 5. DI-745 III RX HDM S1 6. DI-745 III RX HDM S2 7. DI-745 III RX HDM S3 8. DI-47 RX HDM 9. DI-47 RX HDM S1 10. DI-47 RX HDM S2 11. DI-47 RX HDM S3	CAHD 0221/21.09.2018	Agricultural Tractor	Rs. 6,81,000/- to Rs. 7,01,000/-
4	DI-35 HDM	1. DI-35 HDM S1 2. DI-35 SM HDM & 3. DI-734 Power Plus HDM	CAFD 0162 F01 E01/13.01.2018	Agricultural Tractor	Rs. 6,06,000/- to Rs. 6,13,000/-
5	DI-42 HDM 4 Wheeled Rear wheel driven, General Purpose Agricultural Tractor	1. DI-42 RX HDM 2. DI-47 RX S1 3. DI-745 III S1 4. DI-745 III RX S1 5. DI-740 III HDM 6. DI-35 Power Plus HDM 7. DI-35 RX Power Plus HDM 8. DI-42 HDM S1 9. DI-42 RX HDM S1 10. DI-47 RX S2 11. DI-745 III S2 12. DI-745 III RX S2 13. DI-740 III HDM S1 14. DI-35 Power Plus HDM S1 15. DI-35 RX Power Plus HDM S1 16. DI-42 HDM S2 17. DI-42 RX HDM S2 18. DI-47 RX S3 19. DI-745 III S3 20. DI-745 III RX S3 21. DI-740 III HDM S2 22. DI-35 Power Plus HDM S2 23. DI-35 RX Power Plus HDM S2 24. DI-42 HDM S3 25. DI-42 RX HDM S3 26. DI-47 RX S4 27. DI-745 III S4 28. DI-745 III RX S4 29. DI-740 III HDM S3 30. DI-35 Power Plus HDM S3 31. DI-35 RX Power Plus HDM S3 32. DI-740 III HDM S4 33. DI-35 Power Plus HDM S4 34. DI-35 RX Power Plus HDM S4 35. DI-740 III HDM S5 36. DI-35 Power Plus HDM S5 37. DI-35 RX Power Plus HDM S5	CAHD 0075 F03/05.04.2018	Agricultural Tractor	Rs. 6,46,000/- to Rs. 6,52,000/-

1. निबंधन के पूर्व केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली-1989 के नियम-126 एवं 127 के अन्तर्गत प्रपत्र-22 में प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा नियमावली के नियम-93 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना होगा। इस नियमावली के नियम 33 से 46 का अनुपालन करेंगे।
2. वाहन का प्रोटोटाइप जिस प्रकार प्रमाणित किया गया है, निबंधन भी उसी प्रकार के वाहन का होगा।
3. इसके साथ रोड वर्थीनेस प्रमाण पत्र मोटर वाहन नियमावली के नियम के अनुपालन का प्रतिवेदन/जाँच प्रतिवेदन/मार्ग निर्देशन वाहन डीलर द्वारा संलग्न किया जायेगा।
4. किसी भी परिस्थिति में किसी कम्पनी के नये प्रोडक्ट का निबंधन राज्य परिवहन आयुक्त का आदेश निर्गत होने की तिथि के पूर्व नहीं किया जायेगा। बिना आदेश के यदि निबंधन किया जाता है तो इसकी सम्पूर्ण जवाबदेही आपकी होगी।
5. जिला परिवहन पदाधिकारी वाहन विक्रेता के पंजियों की नियमित जाँच करते हुए बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम-1994 की धारा-6 के अधीन करों की वसूली सुनिश्चित करेंगे तथा ट्रेड टैक्स का अद्यतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
6. जिला परिवहन पदाधिकारी वाहन के निबंधन के समय यह सुनिश्चित करेंगे कि डीलर का ट्रेड प्रमाण पत्र वैध है एवं उनके द्वारा बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 (यथा संशोधित) की धारा-6 के अनुरूप प्रत्येक वाहन के ट्रेड टैक्स का अद्यतन भुगतान किया गया है।
7. बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा 6 शेड्यूल-III के अनुरूप प्रत्येक वाहन के लिए निर्धारित कर की दर से निबंधन के समय भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
8. संबंधित Model का बिक्री मूल्य कम्प्यूटर में दर्ज करेंगे।
9. निर्माता कंपनी उक्त मॉडलों/वैरियंट के संबंध में COP छः माह के अन्दर इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
10. वाहन-4.0 के होमोलोगेशन पोर्टल पर मॉडल/वैरियंट/वास्तविक विक्रय राशि एवं अन्य सूचना अंकित कराने का दायित्व कंपनी का होगा। उक्त सूचना पोर्टल पर उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में निबंधन स्वीकृति की अनुमति रद्द मानी जाएगी।
11. माननीय सर्वोच्च/उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी न्यायिक आदेश से यह प्रभावित होगा।

विश्वासभाजन

ह0/-

विशेष कार्य पदाधिकारी,  
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापक : .....

पटना, दिनांक : .....

प्रतिलिपि:-Authorised Signatory : M/S-INTERNATIONAL TRACTORS LIMITED., C-133A,  
Sector-2, Noida-201301. को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

विशेष कार्य पदाधिकारी,  
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापक : .....

पटना, दिनांक : .....

प्रतिलिपि : State Informatic Officer, NIC, Patna को Vahan Software के Master Box में प्रविष्टि करने हेतु/I.T.  
Manager, परिवहन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी,  
परिवहन विभाग, बिहार, पटना